प्रेस विज्ञप्ति
3.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28/03/2025 को, विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निवेश धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी आदि के माध्यम से एक यूएई आधारित फिनटेक कंपनी PYYPL ("पीपल" के रूप में उच्चारित) भुगतान मंच की मदद से उत्पन्न आगम के शोधन के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विद्वान राउज़ एवेन्यू न्यायालय के समक्ष 05 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

तलाशी के बाद की जांच के दौरान, ईडी ने दो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अजय, सीए विपिन यादव, दो क्रिप्टो ट्रेडर्स जितेंद्र कासवान और अल्लादी राजसाई, जो मुख्य रूप से दुबई से काम करते हैं, और जोधपुर राजस्थान से चार अन्य - राकेश करवा, छोटू सिंह गुर्जर, मोहित सिंह और कुलदीप सिंह, जो देश भर में फैले इस बड़े पैमाने पर साइबर-धोखाधड़ी ऑपरेशन में शामिल हैं, जिन्होंने सैकड़ों पीड़ितों को ठगा है, को गिरफ्तार किया।

इस मामले में 25/01/2025 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई थी, जिस पर विद्वान विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू न्यायालय द्वारा 10/02/2025 को संज्ञान लिया गया है।इसके बाद 28-03-2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिस पर 2/4/2025 को संज्ञान लिया गया है। इससे पहले, 28.11.2024 को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र और तेलंगाना में स्थित 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया था।

इसके अलावा, शामिल आरोपियों द्वारा अर्जित अपराध के आगम की वसूली के लिए निम्नलिखित चल-अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया है:

क) 1.36 करोड़ रुपये मूल्य का निजी क्रिप्टो वॉलेट
ख) पीएमएलए की धारा 5 के तहत 7.00 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की गईं।
ग) 47 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई

जांच के दौरान साइबर धोखाधड़ी के तरीके का खुलासा हुआ:

जांच से यह बात सामने आई है कि जेनिफर, एलन, टॉम, टॉम-सपोर्ट आदि नामों से काम करने वाले सदस्यों के साथ एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट (ओसीएस) ने कई टेलीग्राम समूहों के माध्यम से भारतीय जनता को धोखा देने और धोखाधड़ी से उनके पैसे हड़पने की आपराधिक साजिश रची। ओसीएस के संचालकों ने कमीशन के एवज में हजारों म्यूल बैंक खातों की व्यवस्था और संचालन के लिए देश के विभिन्न व्यक्तियों को काम पर रखा। एक बार जब धोखाधड़ी का पैसा इन खातों में जमा हो जाता है, तो आरोपी विभिन्न अन्य म्यूल खातों के माध्यम से आगम का शोधन करते हैं और इसे PYYPL प्लेटफ़ॉर्म पर या दुबई में नकदी के माध्यम से क्रिप्टो में बदल देते हैं और इसे टेलीग्राम समूहों में ओसीएस के सदस्यों द्वारा साझा किए गए निजी क्रिप्टो वॉलेट में वापस अंतरित कर देते हैं।

आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने विभिन्न साइबर अपराधों से जुड़े लगभग 303 करोड़ रुपये (अब तक पहचाने गए) के शोधन के लिए जिम्मेदार एक घोटाले की साजिश रची। यह जांच वित्तीय खुफिया इकाई (**एफआईयू**) भारत और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (**आई4सी**) के सहयोग से की गई थी।

ईडी ने लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन, निजी क्रिप्टो वॉलेट, कई बैंक खाते, चेक बुक, एटीएम कार्ड आदि सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनका आगे के साक्ष्य के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।

इस मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है, कई संदिग्ध फरार हैं और अधिकारी अतिरिक्त संदिग्धों की पहचान करने, अपराध के आगम को बरामद करने और कुर्क करने में जुटे हुए हैं।

साइबर धोखाधड़ी की सचित्र प्रस्तुति